[2022] 14 एस.सी.आर. 573

ललन कुमार सिंह एवं अन्य।

महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक अपील संख्या 1757/2022)

11 अक्टूबर, 2022

बी. आर. गवई और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधिपतिगण

औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 S.S. 34, 16, 18 - प्रतिनिधिक दायित्व - शिकायतकर्ता - मेसर्स कैशे फार्माक्यूटिकल्स के निदेशक गण। पूर्व में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास दर्ज शिकायत धारा 16 एवं 34 के अंतर्गत u/s 18(a)(I) r/w ss. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नें सभी आरोपियों और साथ हीं साथ शिकायतकर्ता पर भी सम्मन जारी किया। अपीलकर्ताओं ने अपने ऊपर जारी सम्मन को रोकने के लिए सत्र न्यायधीश के सामने याचिका पत्र दाखिल किया, जिस याचिका पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया , इसका आधार यह था कि शिकायत में अपीलकर्ता निर्माता, वितरण और दवा के बिक्री में संलग्न थे। रिट याचिका को भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।अपील पर, धारा 34 के तहत यह निर्धारित हुआ: कम्पनी निदेशक को तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उत्पादन समय, उसने इसका का दायित्व नहीं संभाला हो - बस इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, यह आवश्यक नहीं है कि उसे इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यों के बारे में पता हो - एक कंपनी के निदेशक का सामान्यत: इसके प्रतिदिन के कामों का जिम्मेदार ठहराने का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। किसी कंपनी का निदेशक उसके रोजमर्रा के मामलों का प्रभारी होता है यह जानना आवश्यक है कि कंपनी का निदेशक दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी कैसे था या कपनी के मामलों के प्रति जिम्मेदार था प्रबंध निदेशक या किसी कंपनी में संयुक्त एफ प्रबंध निदेशक, जैसा कि उनके कार्यालय के पदनाम से पता चलता है, एक कंपनी के प्रभारी होते हैं और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं अपीलकर्ता न तो प्रबंध निदेशक हैं और न ही पूर्णकालिक निदेशक है। आरोपी कंपनी शिकायत में अधिनियम की धारा 34 की आवश्यकता का पूरी तरह से अभाव था, प्रक्रिया जारी करने के आदेश को रदद कर दिया गया परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 धारा 141 कंपनी अधिनियम, 1956 धारा 2(13)

अभ्यास और प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया मजिस्ट्रेट दद्वारा प्रक्रिया जारी करना प्रक्रिया जारी करने का आदेश एक खाली औपचारिकता नहीं है मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2022) 14 एस.सी.आर.

क्या मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं, ऐसी राय का गठन आदेश में ही बताया जाना आवश्यक है यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय कोई कारण नही दिया गया है तो आदेश को रद्द कर दिया जा सकता है। प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मामला बनता है

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

माना गयाः 1. वर्तमान मामले में, जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, कोई विशिष्ट कथन नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता न तो आरोपी कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं और न ही पूर्णकालिक निदेशक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि, फॉर्म 28 के साथ पढ़े गए उक्त नियमों के नियम 76 के प्रावधानों के अनुसार, अभियुक्त सख्या 9 और 10 को विशेष रूप से फॉर्म 28 में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अभियुक्त संख्या 9 था एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अनुमोदित किया गया है जिसके सक्रिय निर्देशन और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत उक्त डी. नियमों के नियम 76 के उप नियम (1) के तहत आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाएगा। इसी तरह, आरोपी नंबर 10, जिसे परीक्षण इकाई के प्रमुख के रूप में अनुमोदित किया गया था, को उक्त भाग X के प्रावधानों के तहत आवश्यक पदार्थों की ताकत, गुणवता और शुद्धता का परीक्षण करने के लिए प्रभारी होना था। नियम। इसलिए न्यायालय का मानना था कि शिकायत ई में उक्त अधिनियम की धारा 34 की आवश्यकता का पूरी तरह से अभाव है। [पैरा 23 और 24][587-एफ-एचः 588-ए-बीआई

2. प्रक्रिया जारी करने का आदेश कोई कोरी औपचारिकता नहीं है. मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। ऐसी राय के गठन को आदेश में ही बताया जाना आवश्यक है। यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, कोई कारण नहीं बताया गया है तो आदेश रद्द किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आदेश में विस्तृत कारण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिकार्ड के आधार पर यह माना है कि प्रक्रिया जारी करने का आदेश था। ऐसा दृष्टिकोण कानून मैं टिकाऊ नहीं है। पैरा 28 और 30] [588-जी-एचः 590-ए-बीआई ।

ललनकुमार सिंह एवं अन्य। वी महाराष्ट्र राज्य

एसएमएस। फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य (2005) 8 एससीसी 89: [2005] 3 पूरक। एससीआर 371: पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2014) 16 एससीसी 1: [2014] 14 एससीआर 1468: केके आहूजा बनाम वी.के. वोरा और अन्य (2009) 10 एससीसी 48: [2009] 9 एससीआर 1144, अभियोजन अधिकारी, कीटनाशक, एनसीटी दिल्ली सरकार के माध्यम से एनसीटी दिल्ली राज्य राजीव खुराना (2010) 11 एससीसी 469: 1201019 एससीआर 387: अशोक मल बाफना बनाम अपर इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2018) 14 एससीसी 202, सुनील भारती मितल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2015) 4 एससीसी 609 [2015] 1 एससीआर 377-पर भरोसा किया गया।

यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मोहन मीकिन्स लिमिटेड और अन्य (2000) 3 एससीसी 745: [2000] 2 एससीआर 566; दिनेश बी पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2010) 11 एससीसी 125: [2010] 10 एससीआर 319; हरियाणा राज्य x बृज लाल मितल और अन्य (1998) 5 एससीसी 343: [1998] 3 एससीआर 104-संदर्भित ।

केस कानून सदर्भ

[2000] 2 एससीआर 566 करने के लिए भेजा पैरा 12

[2010] 10 एससीआर 319	करने के लिए भेजा	पैरा 12
[1998] 3 एससीआर 104	करने के लिए भेजा	पैरा 13
[2005] 3 पूरक। एससीआर 371	पर भरोसा	पैरा 15
[2014]14 एससीआर 1468	पर भरोसा	पैरा 17
(2009) 9 एससीआर 1144	पर भरोसा	पैरा 19
[2010] 9 एससीआर 387	पर भरोसा	पैरा 20
(2018) 14 एससीसी 202	पर भरोसा	पैरा 21
[2015] 1 एससीआर 377	पर भरोसा	पैरा 28

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2022 की आपराधिक अपील संख्या 1757

2015 के सीआरएलडब्ल्यूपी नंबर 288 में औरंगाबाद में बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.06.2015 से

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 14 एस.सी. आर.

एक सी.यू. सिंह, अनुपम लाल दास, सीनियर, अधिवक्ता, अरुण सिवाच, कुणाल चीमा, सुश्री। अदिति देशपांडे पारखी, अनिरुद्ध सिंह, कृष्णु बरुआ, अमजिद मकबूल, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए.

सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया
B. R. GAVAI, J.

1. छुट्टी स्वीकृत.
2. यह अपील 2015 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 288 में औरंगाबाद में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25 सी जून 2015 से उत्पन्न हुई है, जिससे उक्त आपराधिक रिट को खारिज कर दिया गया है। यहां अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिका और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीड डी (इसके बाद "विद्वान सीजेएम" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित प्रक्रिया जारी करने के आदेश दिनांक 30 मार्च 2009 और विद्वान सत्र
न्यायाधीश, बीड द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है। दिनांक 25 नवंबर 2014 को अपीलकर्ताओं द्वारा दायर 2013 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 115 को खारिज कर दिया गया।

3. वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है नीचे

3.1 के रूप में सदर्शित) की अनुसूची सी और सी (1) के अंतर्गत आता है।

3.2 खरीदा, जहां से उन्होंने दवा के नमूने निकाले थे। 31 अगस्त 2006 को उन्होंने ऐसा एक नमूना सरकारी विश्लेषक, महाराष्ट्र राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला मुंबई को भेजा ताकि दवा का परीक्षण किया जा सके। 26 फरवरी 2007 को, उन्हें सरकारी विश्लेषक से 13 फरवरी 2007 की एक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें कहा गया था कि नमूना मानक गुणवता का नहीं था क्योंकि सायनोकोबालामिन की सामग्री अनुमेय सीमा से कम थी, यानी लेबल मात्रा का 39%। उसी दिन, निर्माता

ललनकुमार सिंह एवं अन्य। वी महाराष्ट्र राज्य
[बी. आर. गवई, जे.).

दवा के यानी सीपीपीएल के परीक्षण ए रिपोर्ट के बारे में रजिस्टर्ड पोस्ट से जानकारी दी गई.

3.3 29 मार्च 2007 को श्री सीपीपीएल के क्यूए के उप प्रबंधक विजय जैन ने इग इंस्पेक्टर से नमूनों को फिर से विश्लेषण के लिए भेजने का अनुरोध किया। सीपीपीएल के वितरक मेसर्स अल्केम लेबोरेटरीज दवारा दायर एक आवेदन के अनुसार, विद्वान सीजेएम, बौड ने हेमफर सिरप बी' के नमूने 24 अप्रैल 2007 को पुनः विश्लेषण के लिए भेजे। 10 जुलाई 2007 को, विद्वान सीजेएम, बीड को प्राप्त हुआ केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकता की परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूना मानक गुणवता का नहीं था क्योंकि यह सायनोकोबालामिन सामग्री की स्वीकृत सीमा के अनुरूप नहीं था।

3.4 दिनाक 21 अगस्त 2008 के पत्र के माध्यम से, इग इंस्पेक्टर ने सीपीपीएल को निदेशकों के विवरण, एसोसिएशन के लेख, एसोसिएशन के जापन, दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेस की प्रतिया, तकनीकी व्यक्तियों के विवरण और ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (इसके बाद इसे "उक्त अधिनियम" के रूप में सदर्शित किया जाएगा) के तहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता थी। इस पत्र के जवाब में, सीपीपीएल ने हुग इंस्पेक्टर को सूचित किया कि 10 जुलाई 2007 की रिपोर्ट पर "प्रभारी" द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। निर्देशक और केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निर्देशक नहीं और इस प्रकार उनसे केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के निदेशक दवारा हस्ताक्षरित एक उचित रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया।

3.5 दिनांक 12 जनवरी 2009 के पत्र के माध्यम से, एग इंस्पेक्टर ने सीपीपीएल को फिर से विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जो पहले मांगा गया था। 12 फरवरी 2009 के पत्र के अनुसार, सीपीपीएल ने इग इस्पेक्टर द्वारा मांगी गई जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराए और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हेमफर सिरप' का निर्माण श्री के पर्यवेक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन के तहत किया गया था। अशोक कुमार, तरल औरल के लिए एफडीए द्वारा अनुमोदित विनिर्माण रसायनज्ञ।

3.6 श्री अशोक कुमार (अभियुक्त संख्या 9) ने 13 फरवरी 2009 को इग इंस्पेक्टर को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि "हेमफर सिरप का उक्त बैंच उनकी देखरेख में निर्मित किया गया था और दवा अपेक्षित मानकों का अनुपालन करती थी। इसी तरह, श्री नरेश रॉय (अभियुक्त नंबर 10) ने 13 फरवरी 2009 को हुग इंस्पेक्टर को एक पत्र भी लिखा था जिसमें कहा गया था कि "हेमफर सिरप" के उक्त बैच का परीक्षण उनकी देखरेख में किया गया था और परीक्षण के परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि दवा अनुपालन करती है अपेक्षित मानकों के साथ

3.7 के विरुदध वैधानिक कार्यवाही करने के आदेशानुसार संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) द्वारा दवा के निर्माता और

एक नियंत्रक प्राधिकारी, खादय एवं औषधि प्रशासन, मुंबई, 2009 की आरसीसी संख्या 233 वाली शिकायत एलडी के समक्ष दायर की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीड उक्त अधिनियम की धारा 18(एएक्सआई) के तहत धारा 16 और 34 के साथ पठित और उक्त अधिनियम की धारा 27(डी) के तहत दंडनीय है। उक्त शिकायत में, कंपनी के निदेशक होने के नाते बर्तमान अपीलकर्ताओं को अभियुक्त क्रमांक 5 से 8 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। बी

3.8 विद्वान सीजेएम, बीड ने सभी आरोपियों को समन जारी किया। दिनांक 30 मार्च 2009 के आदेश के तहत अपीलकर्ताओं सहित। अपीलकांओं ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, बीड के समक्ष सम्मन आदेश के खिलाफ एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की. इस आधार पर कि उक्त अधिनियम की धारा 34 के संदर्भ में कोई विशिष्ट कथन नहीं हैं। निदेशको दवारा निभाई गई भूमिका और इस प्रकार सम्मन आदेश को रदद करने की मांग की गई। हालाँकि, विद्वान सत्र न्यायाधीश, बीड ने उक्त आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायत में एक विशिष्ट कथन है कि अपीलकर्ता निर्माण से चिलित हैं। हेमफर इग का वितरण और बिक्री। सी डी

3.9 अपीलकर्ताओं ने विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर आपति जताते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, उक्त आपराधिक रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सभी निदेशक सीपीपीएल का व्यवसाय सचालित कर रहे थे और इस प्रकार, वे विनिर्माण ई प्रक्रिया में शामिल थे।

3.10 इसलिए, बर्तमान अपील।

4. हमने श्री सी.यू. को सुना है। सिंह और श्री अनुपम लाल दास। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विदवान वकील श्री सिद्धार्थ धर्माधिकारी

प्रतिवादी-महाराष्ट्र राज्य।

5. श्री सी यू. सिंह और श्री अनुपम लाल दास, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 34 विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि केवल वही व्यक्ति, जो अपराध के समय, कपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था। कंपनी के व्यवसाय का आचरण जी, साथ ही कंपनी को अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

6. श्री सी. यू. विद्वान वरिष्ठ वकील सिंह ने आगे कहा कि उक्त नियमों का नियम 76 अनुसूची सी और सी(1) में निर्दिष्ट दवाओं के निर्माण के लिए लाइसैंस का एक फॉर्म निर्धारित करता है, जिसमें निर्दिष्ट दवाओं को शामिल नहीं किया गया है।

भाग XB और अनुसूची x. या अनुसूची C, C(1) और XA में निर्दिष्ट दवाएं और ऐसे लाइसेंस देने की शर्तें। वह आगे यह भी प्रस्तुत करता है। फॉर्म 28 या फॉर्म 28 बी में लाइसेंस दिए जाने से पहले, आवेदक को कुछ शतौ का पालन करना आवश्यक होता है। उनका कहना है कि उक्त नियमों के नियम 76 के उप-नियम (1) के तहत, निर्माण को सक्षम तकनीकी कर्मचारियों के सक्रिय निर्देशन और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत संचालित किया जाना आवश्यक है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति शामिल हो जो पूर्णकालिक कर्मचारी हो और जिसके पास उक्त नियमों के तहत निर्धारित अपेक्षित योग्यता है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त नियमों के नियम 76 के उप-नियम (4) के तहत, एक आवेदक को पदार्थों की ताकत, गुणवता और शुद्धता के ऐसे परीक्षण करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी, परिसर और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सी को उक्त नियमों के भाग एक्स के प्रावधानों के तहत उसके द्वारा निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त नियमों के नियम 76 के उप-नियम (4 ए) के तहत, परीक्षण इकाई के प्रमुख के पास उक्त उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिसिन या साइंस या फार्मेसी या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री में डिग्री होना आवश्यक है। उसके पास दवाओं के परीक्षण का अनुभव भी होना जरूरी है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी की राय में पर्याप्त माना जाता है। उनका कहना है कि फॉर्म 28 उक्त नियमों के नियम 76 के अनुसार दवाओं की बिक्री या वितरण के लिए विनिर्माण का लाइसेंस है। विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि फॉर्म 28 में अनुमोदित सक्षम तकनीकी कर्मचारियों के नाम दिए जाने आवश्यक हैं। उन्होंने आगे कहा कि लाइसेंस ई की शर्तों की शर्त संख्या 3 में कहा गया है कि यदि सक्षम तकनीकी कर्मचारियों में कोई बदलाव होता है, तो इसकी सूचना तुरत लाइसेंसिग प्राधिकारी को दी जाएगी।

7. विद्वान वरिष्ठ वकील का मानना है कि उक्त नियमों की अनुसूची एम फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए अच्छे विनिर्माण अभ्यास और परिसर, संयंत्र और उपकरणों की आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। विद्वान एफ वरिष्ठ वकील का मानना है कि अनुसूची एम के भाग 1 के खंड 6.1 में विशेष रूप से प्रावधान है कि निर्माण निर्धारित योग्यता वाले सक्षम तकनीकी कर्मचारियों की प्रत्यक्ष देखरेख में किया जाएगा। और प्रासंगिक खुराक के रूप और/या सक्रिय फार्मास्युटिकल उत्पादों मै व्यावहारिक अनुभव। विद्वान वरिष्ठ वकील का यह भी कहना है कि उसके खंड 6.2 के अनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के प्रमुख को विनिर्माण इकाई से स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसमें यह भी आवश्यक है कि परीक्षण प्रत्यक्ष के तहत आयोजित किया जाएगा। सक्षम तकनीकी कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, जो पूरे समय रहेगे लाइसेंसधारी के कर्मचारी

8. श्री सिंह ने आगे कहा कि लाइसेंस में, जो नामित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है. अनुमोदित सक्षम तकनीकी कर्मचारियों के नाम पहले से ही दिए गए हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि 13 फरवरी 2009 को इग इंस्पेक्टर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, एम. एस. को दिए गए जवाब में। बीड, श्री नरेश रॉय, सहायक प्रबंधक क्यूए। (अभियुक्त संख्या 10) ने कहा था कि श्री आफताब द्वारा गुणवता नियंत्रण विभाग में कच्चे माल का विश्लेषण किया गया था। उनकी देखरेख में रसायनज्ञ। आगे बताया गया है कि दवा के उक्त बैच के तैयार उत्पाद का विश्लेषण श्री एम के दद्वारा किया गया था। शर्मा की देखरेख में हुआ। श्री नरेश रॉय (अभियुक्त संख्या 10) ने आगे बताया कि उन्हें राजस्थान एफडीए दवारा एक सक्षम व्यक्ति के रूप में अनुमोदित किया गया था।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि इसी तरह, श्री अशोक कुमार। सहायक प्रबंधक, उत्पादन (अभियुक्त सख्या 9) ने दिनाक 13 फरवरी 2009 को गुम इंस्पेक्टर को संचार द्वारा सूचित किया था कि उसे राजस्थान एफडीए दद्वारा अनुमोदित किया गया था। गुणवता नियंत्रण से अतिम अनुमोदन के बाद माल जारी किया गया। उन्होंने आगे कहा कि उक्त बैच का डी मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड उनके दवारा तैयार किया गया था और इस पर उनके हस्ताक्षर है

10. श्री सिंह ने आगे कहा कि केवल यह उल्लेख करना कि वर्तमान अपीलकर्ता, आरोपी कंपनी के निदेशक होने के नाते, कंपनी ई के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि, जब तक कि कंपनी के व्यवसाय के संचालन में क्या भूमिका थी, इसके बारे में कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है, तब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल इस आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती कि वह कंपनी का निर्देशक था। वह इस प्रस्ताव के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हैं।

11 श्री सीयू सिंह ने आगे कहा कि विद्वान सीजेएम दद्वारा पारित प्रक्रिया जारी करने का कोई औपचारिक आदेश नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रक्रिया जारी करते समय, व्यक्तिपरक सतुष्टि प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट पर एक कर्तव्य डाला जाता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। प्रस्तुत है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है जो विदवान सीआईएम दद्वारा दिमाग के प्रयोग को दर्शाता हो और इस आधार पर भी विवादित आदेश रदद किया जा सकता है।

12 शिन सिद्धार्थ धर्माधिकार ने देश पर वकील का कहना है कि शिकायत का अध्ययन, और विशेष रूप से पैराग्राफ और 2 छल से पता चलता है कि यदि राउरमेंट किया गया है तो पर्याप्त अनुपालन है। उन्होंने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 4 की शिकायत में कहा गया है.

समग्र रूप से पढ़ें और टुकड़ों में नहीं पढ़ा जा सकता। विद्वान एक वकील यूपी के नामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम मोहन मोकिन्स लिमिटेड और अन्य के मामले में इस प्रस्ताठ का समर्थन किया गया कि ट्रायल कोर्ट को प्रक्रिया जारी करते समय विस्तृत आदेश पारित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। वह दिनेश बी. पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा करते हैं कि शिकायत में दिए गए दावे वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त हैं।

13. हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मितल और अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

8. फिर भी, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को बिल्कुल अलग कारण से बरकरार रखा गया है। बेशक, तीन उत्तरदाताओं पर अधिनियम की धारा 34(1) की सहायता से निर्माताओं के निदेशकों के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा था, जो इस प्रकार है:

34. कंपनियों ट्द्वारा अपराध (1) जहां इस अधिनियम के तहत एक अपराध डी एक कंपनी दवारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था, प्रभारी था, और आचरण के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था कंपनी के व्यवसाय के साथ-साथ कंपनी को भी अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:

बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम में प्रदान की गई किसी भी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी यदि वह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।

इस प्रकार यह देखा जाता है कि किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए मुकटमा चल्लाने के लिए किसी व्यक्ति का परोक्ष दायित्व उत्पन्न होता है यदि भौतिक समय पर वह प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के

संचालन के लिए भी जिम्मेदार था। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति कंपनी का निदेशक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है

1. (2000)3 एससीसी 745, 2.(2010) 11 एससीसी: 125 3. (1998)5 एसयूसी 343

ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके विपरीत, निदेशक हुए बिना भी कोई व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए उसका प्रभारी और जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि, संबंधित शिकायत से हमें पता चला है कि इस स्पष्ट बयान के अलावा कि उत्तरदाता निर्माताओं के निदेशक थे, ऐसा कोई अन्य आरोप नहीं है जो यह दर्शाता हो, यहाँ तक कि प्रथम दृष्टया, कि वे कंपनी के प्रभारी थे और कंपनी के लिए जिम्मेदार भी थे। इसके व्यवसाय के संचालन के लिए।"

14. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना था कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति कंपनी का निदेशक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 34(1) की जुड़वा आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे बनाया जा सके। उत्तरदायी यह माना गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि, भौतिक समय पर, वह कंपनी का प्रभारी था और इसके व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार भी था।

15. एस. एम. एस. के मामले में फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला और अन्य, यह अदालत इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या यह परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के तहत किसी व्यक्ति को कपनी का निर्देशक बनने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त था। 1881. इस न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(13) में परिभाषित "निदेशक" शब्द की परिभाषा पर विचार किया। इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा और

8. ..... ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताता हो कि किसी कंपनी में निर्देशक होने मात्र से, किसी व्यक्ति को कंपनी की ओर से विशेष कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में निदेशक हो सकता है लेकिन उसे कंपनी के दैनिक कामकाज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। एक निर्देशक के रूप में वह कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं जहा आमतौर पर वे नीतिगत मामलों पर निर्णय लेते हैं और कंपनी के व्यवसाय के पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा हो सकता है कि निदेशक मंडल कंपनी के बोर्ड से बाहर एक या दो निदेशकों वाली उप-समितियां नियुक्त कर सकता है जिन्हें कपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। ये ऐसे मामले हैं जो किसी कंपनी के निदेशक मंडल के प्रस्तावों का हिस्सा होते हैं, कुछ भी मौखिक नहीं होता है। इससे जो बात सामने आती है वह यह है कि किसी कंपनी में निदेशक की भूमिका तथ्य का प्रश्न है जो प्रत्येक मामले में विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है। ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि किसी कपनी का निर्देशक उसके रोजमर्रा के मामलों का प्रभारी हो। हमने इसे स्पष्ट करने के लिए कंपनी में निदेशक की स्थिति के बारे में चचर्चा की है।
मुद्दा यह है कि किसी विशेष शब्द में कोई जादू नहीं है, चाहे वह निदेशक हो, प्रबंधक हो या सचिव हो। यह सब किसी कंपनी में अधिकारियों को सौपी गई संबंधित भूमिकाओं पर निर्भर करता है...

16. यह माना गया कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, यह आवश्यक नहीं है कि वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के बारे में जानता हो। इस न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि किसी कपनी का निर्देशक उसके रोजमर्रा के मामलों का प्रभारी हो। इसलिए, यह जानना आवश्यक था कि

कंपनी का निदेशक कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलौ का प्रभारी कैसे था या कंपनी के मामलों के प्रति कैसे जिम्मेदार था। हालांकि, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कंपनी में प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक की स्थिति भिन्न हो सकती है। इस न्यायालय ने आगे कहा कि ये व्यक्ति, जैसा कि उनके कार्यालय के पदनाम से पता चलता है, एक कंपनी के प्रभारी है और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। दायित्व से बचने के लिए, उन्हें यह साबित करना होगा कि जब अपराध किया गया था, तो उन्हें अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या उन्होंने अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे।

17. पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

17..... कंपनी से जुड़ा हर व्यक्ति प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा। बार-बार, इस न्यायालय दवारा यह कहा गया है कि केवल वे व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार थे, आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। एक निर्देशक, जो प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी नहीं था और जिम्मेदार नहीं था, एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पैटल। (2010) 3 एससीसी 330: (2010) 1 एससीसी (सिव) 677: (2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 1113] इस न्यायालय ने देखाः (एससीसी पृष्ठ 336, पैरा 13-14)

13. धारा 141 एक दंडात्मक प्रावधान है जो प्रतिवती जी दायित्व बनाता है, और जिसे स्थापित कानून के अनुसार सख्ती से समझा जाना चाहिए, इसलिए, एक शिकायत में एक स्पष्ट सरसरी बयान देना पर्याप्त नहीं है कि निदेशक (आरोपी के रूप में सूचीबद्ध) है में के संचालन के लिए कपनी का प्रभार और उसके प्रति जिम्मेदार

(2014)16 एससीसी 1

निर्देशक की भूमिका के बारे में और कुछ बताए बिना कंपनी का व्यवसाय। लेकिन शिकायत में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे और किस तरह से प्रतिवादी मैं आरोपी कंपनी का उसके व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी था या उसके प्रति जिम्मेदार था। यह दंडात्मक कानूनों की सख्त व्याख्या के अनुरूप है, विशेष रूप से, जहां ऐसे कानून परोक्ष दायित्व पैदा करते हैं।

14. एक कपनी में कई निदेशक हो सकते हैं और किसी या सभी निदेशकों को केवल एक बयान के आधार पर शिकायत में आरोपी बनाया जा सकता है कि वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार है, बिना किसी और बात के। धारा 141 के तहत आवश्यकताओं की पर्याप्त या पर्याप्त पूर्ति नहीं है।"

(मूल में जोर)

18. गिरधारी लाल गुप्ता बनाम डी.एच. मेहता (गिरधारी लाल गुप्ता बनाम डी.एच. मेहता, (1971) 3 एससीसी 189: 1971 एससीसी (सीआरआई) 279: एआईआर 1971 एससी 2162] में, इस न्यायालय ने पाया कि

एक व्यक्ति "एक के प्रभारी" व्यवसाय" का अर्थ है कि व्यक्ति को कंपनी के दैनिक व्यवसाय पर समग्र नियंत्रण होना चाहिए।

19. किसी कंपनी के निदेशक को कपनी दद्वारा किए गए किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। यदि वह कपनी का प्रभारी था और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था या यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध उसके साथ किया गया था। संबंधित निदेशक की सहमति या मिलीभगत, या उसकी ओर से किसी लापरवाही के लिए जिम्मेदार था (देखें कर्नाटक राज्य बनाम प्रलाप चंद (कर्नाटक राज्य बनाम प्रताप चंद। (1981) 2 एससीसी 335: 1981 एससीसी (सीआरआई) 453)]).

20. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून यह है कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत कंपनी दवारा किए गए अपराधों के लिए किसी कपनी के निदेशक को उत्तरदायी बनाने के लिए, निदेशक के खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य होना चाहिए कि कैसे और किस प्रकार से निर्देशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।

21. सबिता राममूर्ति बनाम में। आरबीएस चन्नबासावरध्वा सहिता राममूर्ति वी. आर. बीएस चन्नाबक्सावर दिवा। (2006) 10 एससीसी 581: (2007) | एससीसी (सीआरआई) 621), इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि. (एससीसी पीपी. 584-85, पैरा 7)।

ललनकुमार सिंह एवं अन्य। महाराष्ट्र राज्य (बी. आर. गवई, जे.जे

‘’7..... शिकायतकर्ता के लिए विशेष रूप से धारा के शब्दों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है वह तथ्य का स्पष्ट विवरण है ताकि अदालत को प्रथम दृष्टया राय पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके कि आरोपी परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। धारा 141 एक कानूनी कल्पना उठाता है. उक्त प्रावधान के कारण एक व्यक्ति हालांकि इस तरह के अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है, वह इसके लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होगा, इस तरह के परोक्ष दायित्व का अनुमान तब तक लगाया जा सकता है। जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत या निगमित कपनी है। केवल तभी चिंतित हैं जब अपेक्षित बयान, जो शिकायत याचिका में दिए जाने आवश्यक हैं, दिए गए हैं ताकि आरोपी को कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके

(जोर दिया गया)

उचित साक्ष्य दवारा समर्थित तथ्य के स्पष्ट बयान के बिना धारा के शब्दों को शब्दशः पुनः प्रस्तुत करना, ताकि आरोपी को परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जा सके, एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने का आधार है। 18. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह माना है कि मैं इस तथ्य के स्पष्ट विवरण के बिना केवल अनुभाग के शब्दों को पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कंपनी का निदेशक कैसे और किस तरीके से व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था। कंपनी वास्तव में निदेशक को परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं बनाएगी

19. इसी तरह का दृष्टिकोण पहले इस न्यायालय द्वारा के. के. के मामले में लिया गया था। आहूजा बनाम वी के वोरा और अन्य,

20. अभियोजन अधिकारी, कीटनाशक, एनसीटी सरकार के माध्यम से एनसीटी दिल्ली राज्य के मामले में। दिल्ली बनाम राजीव खुराना इस न्यायालय ने इस प्रकार स्थिति दोहराई

17. इन सभी मामलों का अनुपात यह है कि शिकायतकर्ता को शिकायत में यह बताना आवश्यक है कि जिस निदेशक को आरोपी बनाने की मांग की जा रही है, वह कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी कैसे था या कपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था। निदेशक को कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी होना आवश्यक नहीं है और न ही वह है। यदि निदेशक के संबंध में यही स्थिति है

1. (2009) 10 एससीसी 48

2.(2010)11 एससीसी 469

इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि गैर-निदेशक अधिकारियों के मामले में, यह बताना और भी आवश्यक है कि कंपनी के व्यवसाय के संचालन में उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियों क्या थी और वह कैसे अ किस तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी है।"

21. हाल ही में, अशोक मल बाफना बनाम अपर इंडिया बी स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कपन लिमिटेड के मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"9. किसी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रतिवर्ती दायित्व को बांधने के लिए, इस न्यायालय द्वारा मामलों की एक श्रृंखला में कानून को अच्छी तरह से तय किया गया है कि शिकायतकर्ता क विशेष रूप से यह दिखाना होगा कि आरोपी कैसे और किस तरीके से जिम्मेदार था। सिर्फ इसलिए एक व्यक्ति एक डिफॉल्टर कंपनी का निदेशक है, उसे अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। बार-बार, इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति जो कंपनी के मामलों के शीर्ष पर था और उसक प्रभारी और जिम्मेदार था। अपराध के समय व्यवसाय के संचालन के लिए आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। (देखें पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (पूजा रविदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) 16 एससीसी 182015)) 3 एससीसी (सिव) 384: (2015) 3 एससीसी (सीआरआई) 378: एआईआर 2015 एससी 675]।)

10. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून यह है कि किसी कंपनी के निदेशक को अधिनियम की धारा 141 के तहत कंपनी दवारा किए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए, निदेशक के खिलाफ विशिष्ट साक्ष्य होने चाहिए कि कैसे और किस प्रकार जिस तरह से निदेशक कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।"

22. इन टिप्पणियों के आलोक में, जहां तक वर्तमान अपीलकर्ताओं का संबंध है, आइए शिकायत में दिए गए कथनों की जांच करें:

“3. आरोपी नंबर 5 से 8 तक मैसर्स कैचेट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड गांव थाना बददी, तहसील नालाग जिला सोलन (एच.पी.) पिन कोड 173205 हेड ऑफिस 415, शाहनहर, वली, मुंबई के निदेशक हैं। 400018, और कंपनी की रोजमर्रा की गतिविधियों की देखभाल करना।

वह आरोपी नं. 4 प्राइवेट है. लिमिटेड कपनी है और विनिर्माण, खरीद बिक्री, आयात और निर्यात का व्यवसाय कर रही है

एच (2018) 14 एससीसी 202

फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी एड्स, ए ऑयल्स, केमिकल्स, खाद्य उत्पाद और प्रावधान, पशु चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण, स्प्रिट सहित औषधीय तैयारियों के और/या डीलर।

वह, आरोपी न. 4 में एमएफजी है। इकाई संख्या पर (1) ग्राम थाना बढ्दी, तहसील नालागढ़ जिला। सोलन (हि.प्र.) पिन कोड 173205 एवं नं. (2) सी-582 पर, रिको इंडस्ट्रीज एरिया भिवाड़ी, जिला। अलवर, राजस्थान। कि, आरोपी नंबर 4 के पास ड्रग एमजीएफ है। फॉर्म 25 में लाइसेंस नंबर एमएनबी/05/267 और लाइसेंस नंबर एमबी/05/268 फॉर्म 28 में 17.3.2006 को प्रदान किया गया जो 16.3.2011 तक वैध है।

25. कि, 12.2.2009 को, शिकायतकर्ता ने मेसर्स कैचेट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर का दौरा किया और निरीक्षण किया। लिमिटेड गांव थाना बददी, तहसील नालागढ़ जिला। सोलन (हि.प्र.) पिन कोड 173205 यानि आरोपी नंबर 4. निरीक्षण के समय श्री अजय प्रकाश गुप्ता उपाध्यक्ष तकनीकी, अभियुक्त स. 9 एवं 10 उपस्थित थे। पूछताछ में पता चला कि आरोपी नं. 4 से 10 निर्मित "हेम्फर सिरप एमएफजी. एलआईसी. नं. एमबी/05/268/बी. नं. एचएमएस/6015 सीएमएफजी, दिनांक मई-2006 जिसे मेसर्स कैचेट के परिसर में मानक गुणवता का नहीं घोषित किया गया है फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड गांव थाना बद्दी, तहसील नालागढ़ जिला सोलन (एच.पी.) पिन कोड 173205 जो लाइसेंस नंबर एमबी/05/268 के तहत आरोपी नंबर 4 ई है और उपरोक्त दवाओं को मैससे प्रिया एजेंसीज बिहाइंड डॉ. को बेच दिया। वैद्य अस्पताल जालना रोड, बीड जिला बीड, मेसर्स अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड के माध्यम से रियलिटी वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, गट नंबर 2323/1 संपति नंबर 115, पुणे नगर रोड, पोस्ट वाघोली, ताई में स्थित है। हवेली, जिला पुणे- 4122071"

23. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जहां तक वर्तमान अपीलकर्ताओं का संबंध है, कोई विशिष्ट कथन नहीं हैं। आगे यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान अपीलकर्ता न तो प्रबंध निदेशक है और न ही पूर्णकालिक आरोपी कंपनी के निदेशक,

24. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि, प्रावधानों के अनुसार जी उक्त नियमों के नियम 76 को फॉर्म 28 के साथ पढ़ें, अभियुक्त संख्या 9 और 10 को फॉर्म में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया गया है 28. अभियुक्त संख्या 9 को किसके सक्रिय निर्देशन में एक व्यक्ति के रूप में अनुमोदित किया गया था और आवश्यकतानुसार निर्माण का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण किया जाएगा उक्त नियमों के नियम 76 के उप-नियम (1) के तहत। इसी तरह, आरोपी नंबर 10,

जिसे परीक्षण इकाई के प्रमुख के रूप में अनुमोदित किया गया था, उसे उक्त नियमों के भाग X के प्रावधानों के तहत आवश्यक पदार्थों की ताकत, गुणवता और शुद्धता का परीक्षण करने के लिए प्रभारी होना था। इसलिए हमारा मानना है कि शिकायत में उक्त अधिनियम की धारा 34 की आवश्यकता का पूरी तरह से अभाव है।

25. आक्षेपित आदेश किसी अन्य आधार पर भी रद्द किये जाने योग्य और रद्द किये जाने योग्य है।

26. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश दवारा पारित आदेश के अवलोकन से स्वय ही पता चल जाएगा कि विदवान सीजेएम ने प्रक्रिया जारी करने का औपचारिक आदेश पारित करने की भी परवाह नहीं की है। उच्च न्यायालय के विदवान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश के निम्नलिखित भाग को सी को सदर्शित करना प्रासंगिक होगा:

हालांकि, यह सच है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति पर ऐसा कोई औपचारिक आदेश नहीं है, लेकिन रोजनामा (कार्यवाही की दैनिक टिप्पणियाँ) की प्रति से पता चलता है कि ऐसा आदेश 30-3-2009 को किया गया था। रोजनामा दिनांक 30-3-2009 इस प्रकार है:

(1) विलास विश्वनाथ दुसाने द्वारा दायर शिकायत।

ii) 44 दस्तावेजों वाले दस्तावेजों की सूची की प्रतिलिपि।

आदेश प्रदर्शनी 1 (जारी प्रक्रिया के) पर बनाया गया था। आपराधिक मामलों के रजिस्टर में प्रविष्टि ले और आरोपियों के खिलाफ समन जारी करें। दिनांक 18-6-2009 को आरोपियों की उपस्थिति के लिए मामले को सूचीबदध करें।

यह रिकॉर्ड यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त है कि जारी करने की प्रक्रिया का आदेश दिया गया था और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था।"

27 इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि यद्यपि प्रक्रिया जारी करने का कोई औपचारिक आदेश नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था कि जारी करने की प्रक्रिया का आदेश दिया गया था।

28. प्रक्रिया जारी करने का आदेश कोई कोरी औपचारिकता नहीं है. मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। ऐसी राय के गठन को आदेश में ही बताया जाना आवश्यक है। यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, कोई कारण नहीं बताया गया है तो आदेश रद्द किया जा सकता है। नहीं जी मुझे संदेह है कि आदेश में विस्तृत कारण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। में एक संदर्भ

ललनकुमार सिंह एवं अन्य। वी महाराष्ट्र राज्य 589 [बी. आर. गवई, जे.],

यह सम्मान ए सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में इस न्यायालय के फैसले के प्रति किया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

"51. दूसरी ओर, संहिता की धारा 204 प्रक्रिया के मुद्दे से संबंधित है, यदि किसी अपराध का सज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। बी यह धारा एक आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है यदि मजिस्ट्रेट किसी मामले का संज्ञान ले रहा है (यह शिकायत प्राप्त करने वाला मजिस्ट्रेट हो सकता है या जिसे धारा 192 के तहत इसे स्थानातरित किया गया है), उसके सामने सामग्री (यानी शिकायत, शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की परीक्षा) पर विचार करने पर यदि मौजूद है, या जांच की रिपोर्ट, यदि कोई हो), सोचता है कि किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला है. तो वह आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करेगा I

52 प्रक्रिया को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है और इसका प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अदालत में नहीं घसीटा जाना चाहिए क्योंकि शिकायत दर्ज की गई है। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करनी चाहिए और इसे केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह सोचता है कि इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्ध होने की संभावना नहीं है।

53. हालांकि, धारा 204 में आने वाले शब्द "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यह ये शब्द है जो स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि उचित दिमाग लगाने के बाद ही कोई राय बनाई जानी चाहिए कि उक्त आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है और ऐसी राय का गठन आदेश में ही बताया जाना चाहिए। यदि एफ निष्कर्ष पर पहुंचते समय यह आदेश नहीं दिया गया है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है तो आदेश रद्द किया जा सकता है। हालांकि आदेश में विस्तृत कारण शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। एक फोटियोरी, यदि दिया गया कारण प्रथमदृष्ट्या गलत निकला तो आदेश कानून की दृष्टि से खराब होगा।"

29. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने जी अशोक मल बाफना (सुप्रा) के मामले में लिया है। 30. वर्तमान मामले में, प्रक्रिया जारी करने के आदेश के समर्थन में कोई कारण न होने की बात छोड़ दें, तो वास्तव में यह है

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से स्पष्ट है कि ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिकार्ड के आधार पर यह माना है कि प्रक्रिया जारी करने का आदेश था। हम पाते हैं कि ऐसा दृष्टिकोण कानून में टिकाऊ नहीं है। अत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

31. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीड दवारा दिनांक 30 मार्च 2009 को पारित प्रक्रिया जारी करने का आक्षेपित आदेश और विद्वान सत्र न्यायाधीश, बीड दद्वारा दिनांक 25 नवंबर 2014 को पारित आदेश, जिसमें आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया था, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 115/2013 को खारिज कर दिया गया है और निर्धारित किया गया है। एक तरफ. वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत खारिज की जाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि शिकायत बाकी आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगी।

देविका गुजराल
(सहयोगी: नेहा शर्मा, एलसीआरए) अपील की अनुमति